

प्रेषक,

नीता चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक : 17 मार्च, 2008

विषय:- परिवार कल्याण कार्यक्रम-पुरुष नसबन्दी, महिला नसबन्दी तथा लूप निवेशन हेतु प्रतिकेस अनुमन्य धनराशि की पुनरीक्षित दरें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प0क0/10-जे0ड0/421/2007/908, दिनांक 23.01.2008

का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3437/5-9-07-6(17)/89-टी0सी0, दिनांक 18.10.2007 द्वारा सरकारी सेवा केन्द्रों पर महिला/पुरुष नसबन्दी, लूप निवेशन हेतु निम्नवत दरें निर्धारित की गयी हैं:-

अ) सरकारी केन्द्र:-

मुआवजा पैकेज का वर्गीकरण	स्वीकारकर्ता	प्रेरक	औषधि एवं ड्रेसिंग	शल्यक शुल्क	निश्चेतक	स्टाफ नर्स	ओटी0 टेक्नीशियन /सहायक	रिफ्रेशमेण्ट	शिविर व्यवस्था	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पुरुष नसबन्दी (समस्त)	1100	200	50	100	-	15	15	10	10	1500
महिला नसबन्दी (समस्त)	600	150	100	75	25	15	15	10	10	1000
लूप निवेशन	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20

2270

D.1/C-F

13/3/08

2280

D.1/C-F

13/3/08

JDAO/PA.

13/3

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त प्रस्तर-2अ सरकारी केन्द्रों पर महिला/पुरुष नसबन्दी, लूप निवेशन हेतु पूर्व निर्धारित दरों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मुआवजा पैकेज का वर्गीकरण	स्वीकारकर्ता	प्रैरक	औषधि एवं ड्रेसिंग	शल्यक शुल्क	निश्वेतक	स्टाफ नर्स	एल0टी0	वार्ड ब्याय/आया	स्वीपर	रिफ्रेशमेण्ट	शिविर व्यवस्था	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पुरुष नसबन्दी (समस्त)	1100	200	50	100	--	15	7.50	4.50	3.00	10	10	1500
महिला नसबन्दी (समस्त)	600	150	100	75	25	15	7.50	4.50	3.00	10	10	1000
लूप निवेशन	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	20

4- कृपया शासनादेश संख्या-3437/5-9-07-6(17)/89-टी0सी0 दिनांक 18.10.2007 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,

(नीता चौधरी) 11.3.08
प्रमुख सचिव

संख्या-299(1)/5-9-2008, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त मण्डलायुक्त।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

(राम सजन)
उप सचिव